



5. भारतीय संदर्भ में महिला पत्रकारिता : मुद्दे एवं चुनौतियां

डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय

मीडिया प्राध्यापक

एम.सी.यू. रीवा कैम्पस

शोध सार

भारतीय पत्रकारिता की अब तक की विकास यात्रा में महिला पत्रकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और उचित सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारतीय पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की स्थिति पर गहन अंतर्दृष्टि डालने से इसके पीछे कई कारण उभर कर सामने आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विगत वर्षों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि मीडिया शिक्षण-प्रशिक्षण में महिलाओं की संख्या अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में बेहतर है। फिर यह संख्या मीडिया संस्थाओं में क्यों नहीं परिलक्षित होती है, स्वाभाविक है इसके पीछे कई कारण होंगे। लैंगिक भेदभाव, सुरक्षा, क्षमता को कम आंकना, पारिवारिक जिम्मेदारी और कार्यस्थल पर शोषण जैसे मुद्दे उनमें से प्रमुख हैं, जिनका विश्लेषण अग्रलिखित है।

मुख्य शब्द- महिला पत्रकार, महिला पत्रकारिता, भारतीयता, लैंगिक भेदभाव

भूमिका

29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट के प्रकाशन के साथ ही भारत में आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। 244 सालों की इस अनंत विकास यात्रा में भारतीय पत्रकारिता ने समय समय पर नए कलेवर धारण किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। स्वतंत्रता से पहले जहां भारतीय पत्रकारिता का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ आम जन मानस के भीतर जागरूकता जगाना था वहीं स्वतंत्रता के बाद समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जन जीवन को विकासोन्मुख बनाना पत्रकारिता का दायित्व है। हांलाकि अब इसके साथ व्यवसायिकता भी जुड़ गयी है।

आधी दुनिया या यूं कहें महिलाओं ने पुरातन काल से ही जीवन के विविध क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज मीडिया के क्षेत्र में कई सशक्त महिला हस्ताक्षर मौजूद हैं तो निसंदेह इसके पीछे पत्रकारिता जगत में महिलाओं के अवदान की लंबी परम्परा का योगदान है। प्रस्तुत लेख/अध्याय भारतीय पत्रकारिता में महिला पत्रकारों से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का सिंहावलोकन है।



पत्रकारिता के लिए जिस वांछित योग्यता की जरूरत होती है, वह एक महिला में नैसर्गिक रूप से पाई जाती है। पत्रकारिता एक विशिष्ट किस्म की संवेदनशीलता और समानांतर रूप में कुशलता पूर्वक उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता की मांग करती है। संवाद और संवेदना के सुनियोजित सम्मिश्रण का नाम ही पत्रकारिता है। और अपनी अंतरभूत क्षमता के कारण महिला पत्रकार इस कसौटी पर पूरा खरा उतरती हैं।

लैंगिक भेदभाव –

यह कटु सत्य है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत के संदर्भ में संतोषप्रद नहीं है। मीडिया के किसी भी स्वरूप में महिला पत्रकार अवांछनीय सी है, भले ही उनमें योग्यता और प्रतिभा पुरुषों के मुकाबले अधिक ही क्यों ना हो। महानगरों में तो विभिन्न मीडिया संस्थाओं और फील्ड में कुछ महिला पत्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करते दिख जाती हैं लेकिन छोटे शहरों और कस्बाई क्षेत्रों में महिला पत्रकारों की संख्या नगण्य ही है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था (यूएन विमेन) ने 2019 में अपनी रिपोर्ट 'भारतीय मीडिया में लैंगिक असमानता' में यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की मीडिया में उपर से नीचे तक लैंगिक भेदभाव व्याप्त है। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रीडरशिप सर्वे 2018 की स्थिति के आधार पर 13 समाचार पत्रों का चयन किया गया, जिनमें से 7 हिंदी जबकि 6 अंग्रेजी के समाचार पत्र थे। इन अखबारों के सभी संस्करणों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनमें से किसी भी संस्करण में शीर्ष पद पर एक भी महिला नहीं थी। इसके अतिरिक्त 6 हिंदी और अंग्रेजी समाचार चैनल, 11 वेबसाइट, 5 रेडियो स्टेशन और 4 पत्रिकाओं का भी अध्ययन किया गया। अध्ययन का सार कुछ इस तरह था, लैंगिक भेदभाव के मामले में अखबारों की स्थिति बेहद खराब है, टीवी चैनलों में 20.9%, पत्रिकाओं में 13.6% जबकि ऑनलाइन पोर्टलों में 26.3 फ्रीसदी शीर्ष नौकरियों में महिलाएं हैं। निचले स्तर पर तो स्थिति और भी बदतर है।

मीडिया के भीतर इस लैंगिक भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो पुरुषवादी या पितृसत्तात्मक है। यह सोच मीडिया में भी परिलक्षित होती है।

क्षमता को कमतर आंकना –

भारतीय पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की स्थिति और भूमिका का दूसरा स्याह पहलू यह है कि महिला पत्रकारों की क्षमता को हमेशा कमतर आंका जाता है। उन्हें उनकी योग्यता को आंके और मापे बिना कमतर उत्तरदायित्व दिया जाता है। यह देखा गया है कि अधिकांश महिला पत्रकारों को लाइफस्टाइल, फैशन, एंटरटेनमेंट जैसे पृष्ठ या स्तंभ संपादित करने का काम मिलता है। महिला अगर फील्ड रिपोर्टिंग में है तो उसे इन्हीं बीट को कवर करने को कहा जाता है।



महिला पत्रिकाओं में सौंदर्य, व्यंजन बनाने की विधियां, कॉस्मेटिक के उपयोग की जानकारी, सिलाई बुनाई, शिशुओं की देखभाल और घर सजाने के तरीकों पर लेख होते हैं जो महिला पत्रकारों द्वारा लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों की भी कमोबेश यही स्थिति है। तात्पर्य यह है कि महिला पत्रकारों को गंभीर विषयों पर लेखन का मौका कम ही मिलता है। आजकल भारत में महिलाओं को कुछ अन्य मुद्दे जैसे आर्थिक मामले, खेलकूद, अंतरराष्ट्रीय मामले भी दिए जा रहे हैं पर यह संख्या नगण्य ही मानी जा सकती है।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन और इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन सोशल डेवलपमेंट ने मार्च 2020 को दो भाग का शोध ग्रंथ जारी किया। इसमें बताया गया है कि कैसे मीडिया योग्यता के हिसाब से महिलाओं को हाशिए पर रखता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें ग्लैमर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें भी महिला पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उपरोक्त शोध के आधार पर केवल 28 फ्रीसदी महिला एंकर हैं, अंग्रेजी में लगभग बराबर-बराबर, हिंदी में 11 प्रतिशत, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं में यह 24 प्रतिशत है। विभिन्न मुद्दों पर पैनल चर्चाओं में लगभग 86 प्रतिशत पुरुष पैनलिस्ट होते हैं। 65 फ्रीसदी पैनल में महिलाएं नहीं होती। स्पष्ट है कि भारतीय मीडिया महिलाओं को गंभीर जिम्मेदारियों के योग्य नहीं मानता।

पारिवारिक जिम्मेदारी –

यह प्रचलित अवधारणा है कि बच्चों की देखरेख के लिए मैं जिम्मेदार है। समाज महिलाओं को खाना बनाना, परोसना, कपड़े धोना, साफ-सफाई आदि कामों से जोड़कर देखता है। यह सोच महिलाओं को घर की चारदीवारी में रखने के लिए काफी है, वैसे भी मीडिया ऐसा क्षेत्र है जहां आपको वक्त बेवक्त कभी भी कहीं भी आने-जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कोई महत्वपूर्ण खबर चाहे रात के 12 बजे आए या 2 बजे उसे कवर करना ही होता है। घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए ऐसा कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। घर और ऑफिस के बीच सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होने पर कई बार महिलाओं को अपनी पेशेवर हसरतों की कुर्बानी देनी पड़ती है। एचोसैम का सर्वे कहता है कि मां बनने के बाद 40 फ्रीसदी महिलाओं को नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। मीडिया का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है।

सुरक्षा -

पत्रकारिता में पत्रकारों की सुरक्षा हमेशा से महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, और अगर बात महिला पत्रकारों की सुरक्षा की हो तो यह प्रश्न और ज्वलनशील हो जाता है।

मुंबई में 23 अगस्त 2013 को पुरानी महालक्ष्मी मिल के पास एक महिला पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म का बेहद सनसनीखेज प्रकरण संज्ञान में आया था। यह महिला फोटोग्राफर लाइफस्टाइल पर केंद्रित एक पत्रिका के लिए काम करती थी। यह घटना मुंबई जैसे महानगर में महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।



6 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में महिला पत्रकार अपर्णा कालरा पर हमला किया गया। वह पार्क में सैर को निकली थी तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले की वजह साफ नहीं हुई लेकिन एक महिला पत्रकार पर दिनदहाड़े हमला सुरक्षा के संदर्भ में चिंता ही प्रदान करता है।

पूरे देश को झकझोर देने वाले निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या कांड के बाद रात में रिपोर्टिंग करती हुई प्रतिष्ठित महिला पत्रकार अंजना ओम कश्यप से छेड़छाड़ का प्रयास एक बानगी भर ही है। महिला पत्रकार ऐसी समस्याओं से रोजाना ही दो-चार होती है।

कार्यस्थल पर उत्पीड़न –

महिला पत्रकारों के लिए यह एक गंभीर समस्या है। महिला पत्रकारों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न मीडिया इंडस्ट्री में आम बात हो गई है। ऐसे तमाम उदाहरण हमें देखने पढ़ने और सुनने को मिल जाते हैं।

प्रख्यात पत्रकार प्रभात शरण ने 2011 में 'न्यूज़रूम में प्रताड़ना विषय पर अपने एक लेख में बताया "कुछ साल पहले मुंबई से शुरू एक अखबार ने रिपोर्टर की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया जो केवल महिलाओं के लिए था। इंटरव्यू लेते हुए अखबार के सर्वोच्च अधिकारी ने बिजनेस रिपोर्टरों को निर्देश दिया कि उन्हें बड़े उद्योगपतियों के साथ देर रात की पार्टियों में रहना होगा ताकि उद्योगपति उन्हें अपने संबंधों को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकें"।

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर अपने ही संस्थान की एक महिला पत्रकार के यौन उत्पीड़न का आरोप है। 7 नवंबर 2014 के इस घटनाक्रम में नशे की हालत में तेजपाल ने अपनी महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और शीलभंग की कोशिश की। इस मामले में केस अभी भी चल रहा है।

विश्व भर में चर्चित #MeToo आंदोलन के वक्त देश के ख्याति लब्ध मीडिया शख्सियत रह चुके एमजे अकबर पर कई महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप उन्हें तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक देना पड़ा था।

वस्तुस्थिति यह है कि मीडिया संस्थानों में शिकायत समितियां या तो नहीं है और अगर है भी तो औपचारिकता मात्र की। शिकायतों का निवारण करने में वह असमर्थ हैं। इनके सदस्य आमतौर पर वरिष्ठ स्टाफ के विरुद्ध प्रतिरोध करने में अक्षम साबित होते हैं। कई महिला पत्रकार या तो जानकारी के अभाव में या सामाजिक और आर्थिक जोखिम के कारण उत्पीड़न सहने को विवश होती हैं या फिर दबाव में आकर नौकरी छोड़ देती है।

निष्कर्ष

इन सबके अतिरिक्त और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे न्यूज़ मीडिया में महिलाओं पर काम का भारी बोझ होता है, उन्हें फ्लेक्सी टाइम नहीं मिलता और क्रेच सुविधा नहीं दी जाती। ज्यादातर महिला पत्रकारों को न्यूनतम वेतनमान



दिया जाता है। एचआर पॉलिसी महिला विरोधी होती है साथ में पदोन्नति और छूट देने के मामले में काफी भेदभाव किया जाता है। संवेदनशीलता के मामले में भयभीत करना, कार्यस्थल पर पुरुष-प्रधानता का प्रदर्शन आम बात है।

विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागेदारी धीरे-धीरे ही सही मगर बढ़ रही है। आज वह अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हैं और सक्षम भी। यकीनन यह सुखद पहलू है।

फिर भी भारतीय पत्रकारिता और महिला पत्रकारों के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है जिनमें प्रमुख है - यौन उत्पीड़न की शिकायत का सही निवारण, महिलाओं को लैंगिक संवेदनशील माहौल देना, उनकी योग्यता पहचानना तथा उसके अनुरूप पद देना और महिला पत्रकारों को बराबर वेतन का अधिकार देना।

संदर्भ ग्रंथ:

- डॉ. अनुजा मंगला, आधी दुनिया की पूरी पत्रकारिता, प्रभात प्रकाशन 2019 - नई दिल्ली।
- शुक्ला, सुधा, महिला पत्रकारिता, प्रभात प्रकाशन 2016 - नई दिल्ली।
- मीडिया मीमांसा त्रैमासिक शोध पत्रिका, भोपाल।
- www.webduniya.com
- www.aajtak.in
- www.quora.com
- www.ignou.ac.in
- www.sarcjic.com
- www.shethepeople.tv